शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-7/2026ए-1-26/दस-2026-10-1099/1196/2020

प्रेषक,

दीपक कुमार,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक: 07 मई, 2026

विषय : अनावर्ती सहायता अनुदानों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में व एल0सी बिल के सापेक्ष डी. सी. बिल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज के पत्र दिनांक 16.04.2026 के अनुसार अनावर्ती सहायता अनुदानों के सापेक्ष नियंत्रक अधिकारियों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराये जाने के वित्तीय वर्ष-2025-2026 के चतुर्थ त्रैमास तक (माह अप्रैल, 2025 से मार्च, 2026 तक) के प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों के लेखा मिलान के लिए दिनांक 11 मई, 2026 से 28 मई, 2026 तक की अवधि निर्धारित की गयी है। उक्त के क्रम में पूर्व में पार्श्वांकित शासनादेशों द्वारा आवश्यक निर्देश उपयोगित्ता प्रमाण- पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-435/दस-2011-10(38)/2011 दिनांक 25 अक्टूबर, 2011 से शासनादेश संख्या-6/2025/ए-1-100/दस-2025, दिनांक 25.08.2025, शासनादेश संख्या-7/2025/ए-1-111/दस-2025-10-1099/1196/2020, दिनांक 11.11.2025 एवं शासनादेश संख्या-1/2026/ए-1-आई/1218002-2026, दिनांक 27 अप्रैल, 2026 निर्गत किए जा चुके हैं, परन्तु इसके उपरान्त भी अनावर्ती सहायता अनुदानों की काफी अधिक संख्या एवं धनराशि अभी तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अभाव में असमायोजित पड़ी हुयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षो / नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे वित्तीय वर्ष-2025-26 के चतुर्थ त्रैमास तक (माह अप्रैल, 2025 से मार्च, 2026 तक) के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा मिलान कार्य कराये जाने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के पत्र संख्या-11/2026/बी-2-102/दस-2026-आर-2/2016, दिनांक 27 अप्रैल, 2026 जो समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन, अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, प्रमुख सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

विधान सभा/विधान परिषद, उ०प्र० को सम्बोधित व अन्य को पृष्ठांकित है। (ऑन लाईन निर्गत) के साथ संलग्न निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डी.डी.ओ. रिकन्सीलियेशन शीट एवं मासिक व्यय विवरण (बी.एम.-4 एवं बी.एम.-13), सीधे महालेखाकार कार्यालय ई-मेल-agaeuttarpradesh1@cag.gov.in एवं फैक्स नं0-0532-2420880 (राजकोष प्रकोष्ठ) या 0532-2421987 पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करायेंगे। महालेखाकार कार्यालय की वेबसाइट agup.nic.in पर उपलब्ध वर्ष 2001-02 से 2024-2025 की अवधि में स्वीकृत किये गये अनावर्ती सहायता अनुदानों के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में (प्रारूप संलग्न) एवं लम्बित ए.सी. बिल के सापेक्ष डी.सी. बिल का प्रेपण सुनिश्चित करें, जिससे नियंत्रक अधिकारियों द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदानों व ए.सी. बिल का समायोजन भी प्रधान महालेखाकार कार्यालय, उ.प्र. प्रयागराज में सम्भव हो सके। समस्त नियंत्रक अधिकारियों को यह भी निर्देशित कर दें कि यदि उनके द्वारा समयानुसार लेखा मिलान नहीं कराया गया, तो उसका उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा तथा महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित ऑकड़े अंतिम समझे जायेंगे।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

(2) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

(3) वरिष्ठ उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-टी.एम.(सी.)/ग्रुप-IV/लेखा मिलान/I/1394838/2026, दिनांक 16.04.2026 के क्रम में।

(4) महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।

(5) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(6) निदेशक, कोपागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वित्त विभाग के समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को उनके उक्त पत्र दिनांक 27 अप्रैल, 2026 के क्रम में ।

(9) समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग।

आज्ञा से,
महेन्द्र कुमार भट्ट
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

# उपयोगिता प्रमाण-पत्र

| क्रमांक | सहायता अनुदान भुगतान के लिए स्वीकृति की संख्या एवं दिनांक | सहायता अनुदान स्वीकृत करने वाले प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का नाम | अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था का नाम | सहायता अनुदान की राशि (मुख्य लेखाशीर्ष सहित) | भुगतान की तारीख (वाउचर संख्या आदि सहित) | उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत समयावधि (यदि कोई हो) | अधिकारी का नाम जिससे उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना हो | उपयोग की गयी धनराशि का विवरण | अनुपयोग की गयी धनराशि का विवरण (कारण सहित) | समपर्ति की गयी धनराशि के पूर्ण विवरण के साथ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

प्रमाण-पत्र (1) निर्धारित अवधि के अन्दर उपयोग प्रमाण-पत्र न भेजे जाने का कारण ----------

(2) प्रमाणित किया जाता है कि जिस मद में खर्च करने के लिये सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था, उसी मद में खर्च किया गया है।

(3) अन्य जाँचे पूर्ण कर ली गयी हैं -

(क) ----------

(ख) ----------

(ग) ----------

स्वीकृतकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष जिसके द्वारा आहरित धनराशि का उपयोग किया गया मुहर व दिनांक सहित हस्ताक्षर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in